न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा जिला बून्दी (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– दुर्गाशंकर मीना, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 2/प्रा. पत्र/2011

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार

– प्रार्थी

बनाम

1. गोपालीबाई पुत्री हीरालाल जाति मीणा निवास बाजड़ तहसील एवं जिला बून्दी।
2. रणजीतसिंह, सुरजीतसिंह, अमरीकसिंह पिसरान श्री हरबंशसिंह जाति जट सिख निवासी बाजड़, तहसील एवं जिला बूंदी।

कायम मुकामान अमरीक सिंह – पुत्र–गुरूतेगप्रीत सिंह पुत्रियां–सुखविन्द्र कौर,राजवीन्दर कौर, जसवीन्दर कौर, बलविन्दर कौर, वीरपाल कौर, कंवलजीत कौर धर्मपत्नी–लखविन्दर कौर

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राज. टीनेंसी एक्ट, 1955

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार

अप्रार्थी सं. 1 की ओर से एडवोकेट श्री राजकुमार गौतम

निर्णय

दिनांक : 08.02.19

आज यह कार्यवाही वास्ते आदेश पेश हुई।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 14.12.2011 को पेश कर कथन किया कि गोपालीबाई पुत्री हीरालाल जाति मीणा निवासी बाजड़ वाके ग्राम बड़ून्दा ख.सं. 549 रकबा 06–05 बीघा, ख.सं. 1178/732 रकबा 21–01 बीघा किस्म नहरी दोयम की खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार जाति से मीणा है जो

Scanned by CamScanner

अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। धारा 42(ब), 43(2) राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत उक्त खातेदार को अपनी कृषि भूमि पर उक्त धारा में वर्णित जाति के व्यक्ति के अलावा स्थानान्तरित/रहन करने का अधिकार नहीं है। उपरोक्त वर्णित खातेदार ने अपनी कृषि भूमि को श्री रणजीतसिंह, सुरजीतसिंह, अमरीकसिंह, आ0 हरबंश सिंह जाति जट सिख निवासी बाजड़ को बेचान कर धारा 62 (6)/13(2) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। लिखित लेख संलग्न है। उपरोक्त वर्णित खातेदार ने अपनी कृषि भूमि को धारा 34(ए) के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 5 वर्ष से अधिक का है और निर्धारित अवधि में रहन समाप्त हो चुकी है और इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 का उक्त भूमि पर कब्जा है। यह हस्तांतरण धारा 43(5)(बी) के तहत अवैध है। वक्त निरीक्षण रेकार्ड जानकारी में आया कि अप्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि का जिसका परिशिष्ट संलग्न है, को अप्रार्थीगण संख्या 1 की धारा 42(बी) (43) (4ए) व 4(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के प्रतिकूल हस्तान्तरित कर दी है। जिससे उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी भूमिधारी है तथा उसको धारा 42(4) व 43(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के प्रतिकूल हस्तान्तरण करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीयान की कृषि भूमि खसरा संख्या 549 रकबा 6–05 बीघा, खसरा संख्या 1178/732 रकबा 21–01 बीघा किता 2 कुल रकबा 27–06 बीघा किस्म नहरी दोयम वाके ग्राम बड़ून्दा तहसील बूंदी से बेदखल कर कब्जा प्रार्थी को दिलाया जावे। खर्चा मुकद्दमा प्रदान किया जावे। उक्त प्रकरण अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आवेदन पत्र के साथ पटवार मण्डल बड़ून्दा की रिपोर्ट एवं प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत् 2066 से 69 ग्राम बड़ून्दा, प्रमाणित प्रति विक्रय पत्र दिनांक 08.01.1974 पेश की।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये हैतुक तलब किया। अप्रार्थीगण सं. 2 की ओर से पृथक–पृथक जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्यों को अस्वीकार किया तथा कथन किया कि वाद विषयक आराजी के प्राचीन खसरा संख्या 462/1 व रकबा 43 बीघा 9 बिस्वा है। जिसका मूल खातेदार अणदा आ0 श्रीकिशन जाति मीणा था जिसका देहान्त काफी पहले हो चुका है जिसके जीता, देवीशंकर, नीमलाल व हीरालाल पुत्र हुए, जिसमें जीता व हीरालाल का देहान्त हो गया, जीता का पुत्र राधेश्याम व हीरालाल की पुत्री अप्रार्थी सं. 1 गोपाली है। मूल खातेदार अणदा ने अपने जीवनकाल में अपनी आराजी में से 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि नरेन्द्रसिंह आ0 मिलखा सिंह जाति जट सिख नि. बाजड़ एवं 14 बीघा 9 1/2 बिस्वा कृषि भूमि दयाल सिंह उर्फ गुरूदयाल सिंह आत्मज मिलखा सिंह जाति जट सिख निवासी बाजड़ को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 30.04.1971 को विक्रय कर कब्जा नरेन्द्र सिंह व गुरूदयाल सिंह को संभला दिया था। नरेन्द्र सिंह व दयाल सिंह ने उक्त आराजी में से 10 बीघा भूमि उत्तर–पूर्वी साइड की अप्रार्थी रणजीत सिंह को दिनांक 9.01.1974 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बैचान कर दी। खरीद की गई 10 बीघा भूमि में से 1 बीघा भूमि नहर में चली गई और 9 बीघा भूमि प्रार्थी का कब्जा काश्त है, जिसके नवीन ख.नं.1178/732 है। नरेन्द्र सिंह व दयाल सिंह ने उपरोक्त 9 बीघा भूमि अप्रार्थी सुरजीत सिंह को दिनांक 09.01.1974 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बैचान कर दी जिसके ख.सं. 549 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा व ख.सं. 1178/732 रकबा 21 बीघा 6 बिस्वा में से 2 बीघा 15 बिस्वा खेती करता आ रहा है। उत्तरी साइड की उत्तर दक्षिण के बीच की 10 बीघा भूमि अमरीक सिंह को दिनांक 9.01.1974 को जरिये

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर कब्जा संभला दिया नहर में जाने के बाद जिसका ख.सं. 1178/732 व रकबा 9 बीघा है। उक्त विवादित भूमि पर कब्जा अप्रार्थी सं. 2 का 40 वर्षों से चला आ रहा है, अणदा व उसके उत्तराधिकारियों का उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं है और उनका अधिकार समाप्त हो गया है। रजिस्टर्ड सेल डीड उपपंजीयक बूंदी द्वारा जो कि स्वयं तहसीलदार के पद पर अथवा उसके समानांतर अधिकारी होता है अथवा एक ही व्यक्ति दोनों पदों पर सामान्य कार्य करता है, पंजीकृत बैचान की तिथि को मियाद के बिन्दु के अन्तर्गत माना जाता है। प्रार्थी सरकार का आवेदन पत्र मियाद बाहर होने से स्वीकार नहीं है तथा प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। दिनांक 29.01.2011 से प्रस्तुत प्रकरण में जो मौके पर विक्रेतागणों का खाते में नाम होना तथा मौके पर उनका कब्जा प्रारंभ से न होना और क्रेतागणों का मौके पर अमरीक सिंह, रणजीत सिंह, गुरमीत सिंह पिसरान हरबंश सिंह निवासीगण बाजड़ का कब्जा प्रमाणित है। अतः उक्त कार्यवाही अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को तुरन्त प्रभाव से समाप्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अप्राथी सं. 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्यों को अस्वीकार किया तथा कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि ग्राम बाजड़ में स्थित होना तथा खातेदार गोपाली बाई होना स्वीकार है जो अनुसूचित जनजाति की सदस्य है। अप्रार्थी गोपाली बाई न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी से निर्णित वाद सं. 42/2001 निर्णय दिनांक 06.12.2010 गोपाली बाई बनाम झीता वगैरह में बंटवारे के फलस्वरूप उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि बंटवारे में गोपाली बाई को प्राप्त हुई है। न्यायालय की डिक्री के अधीन गोपाली बाई को खातेदार दर्ज कर कब्जा दिया गया है। इस वाद में राजस्थान राज्य पक्षकार थी, उत्तरदाता अप्रार्थी गोपाली ने भूमि का हस्तांतरण नहीं किया है। वाद विषयक कृषि भूमि के किसी भी भाग पर रणजीत सिंह, सुरजीत सिंह व अमरीक सिंह का कब्जा नहीं रहा है और न ही वर्तमान में कब्जा है। प्रार्थना में हस्तांतरण की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है। किन्तु जिस लेख की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की गई है उसके अनुसार यह प्रार्थना पत्र अवधि बाधित हो चुका है और निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त पैतृक कृषि भूमि को लेख में वर्णित बैचानकर्ता को बैचने का अधिकार नहीं था। बैचान पर कभी अमल नहीं किया गया है इस कारण बैचान प्रभावहीन हो चुका है तथा प्रार्थना की गई की प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

दौराने विचारण दिनांक 02.02.2018 को अप्रार्थी सं. 1 श्रीमती गोपाली बाई द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैरसायल गोपाली बाई द्वारा विवादित आराजी का बैचान लिखित या जुबानी नहीं किया गया है। गैर सायल रिकार्डेड खातेदार है तथा बहैसीयत खातेदार आराजी पर काबिज है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में गोपाली बाई द्वारा किसी बैचान करने या धारा 42 राज. काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन करने का उल्लेख नहीं है। प्रस्तुत दस्तावेज जो कि तथाकथित अणदा द्वारा किया जाना बताया गया है। अणदा ने अपने जीवनकाल में कोई विक्रय पत्र नहीं किया है। अणदा उर्फ अणदीलाल के विरासत उत्तराधिकार बाबत वाद सं. 42/2001 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी में चला जिसमें लैण्ड होल्डर तहसीलदार जिन्होंने आवेदन पत्र धारा 175 प्रस्तुत किया है, भी पक्षकार थे। उनकी मौजूदगी में बाद सुनवाई सक्षम अदालत द्वारा दिनांक 06.12.2010 को निर्णय व डिक्री पारित कर प्रार्थी दरख्वास्त गुजार को विवादित आराजी की खातेदार घोषित करने की डिक्री प्रदान की है। इस डिक्री के विरूद्ध कोई

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

अपील या निगरानी विचाराधीन नहीं है। निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.12.2010 के विपरीत कोई अपील या निगरानी नहीं की है तो यह कानूनन उपरोक्त निर्णय से पाबंद है तथा अब कोई आपत्ति न उठाने को कानूनन पाबंद है। आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 175 दिनांक 19.12.2011 को प्रस्तुत किया जबकि आवेदन के साथ दस्तावेज अनुसार तथाकथित बैचान 30.04.1971 आधार मानकर प्रस्तुत किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की शिड्यूल–3 सपठित धारा 214 अनुसार अवैध बैचान के आधार पर प्रार्थना प्रस्तुत करने की मियाद 30 वर्ष है। तथाकथित बैचान के समय अवधि 30 वर्ष बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कालातीत होने के कारण सरसरी तौर पर देखने मात्र से चलने योग्य नहीं है। यह सिद्धान्त मा. उच्चतम न्यायालय के द्वारा सिविल अपील सं. 5853/2014 में निर्णय दिनांक 30.06.2014 में प्रतिपादित किया है तथा प्रार्थना की गई कि उपरोक्त प्रकरण प्राग्न्याय के सिद्धान्त के अनुसार तथा कालातीत होने के कारण चलने योग्य न होने से प्रकरण की कार्यवाही समाप्त कर खारिज करने की कृपा करें।

उक्त आवेदन पत्र का प्रार्थी तहसीलदार तालेड़ा द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी का बैचान अप्रार्थी क्र.1 के पिता द्वारा किया गया है। विवादित आराजी एससी संवर्ग की है जिसमें धारा 42 राज. काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है। निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपील करने का दायित्व प्रतिवादी क्र. 2 व वादी के मध्य है। प्रकरण सं. 42/2001 निर्णय दिनांक 06.12.2010 की पालना किये जाने पर ही विवादित भूमि को खातेदार अणदा उर्फ अणदीलाल के द्वारा बैचान करने की जानकारी प्राप्त हुई है। जिससे 175 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तुत की है। अवैध बैचान होने से कार्यवाही पेश की है। विशेष कथन में मौका पर्चा 08.11.2016 एवं 28.10.2016 का अवलोकन किये जाने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थना पत्र दिनांक 02.02.2018 में अंकित तथ्यों को दोहराया। प्रार्थी सरकार की ओर से पैरोकार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं जवाब प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन होने से आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अवगत कराया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन किया। पटवार मण्डल बड़ून्दा की रिपोर्ट एवं प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत् 2066 से 69 ग्राम बड़ून्दा, प्रमाणित प्रति विक्रय पत्र दिनांक 08.01.1974 से आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि नहीं होती है। प्रमाणित प्रति विक्रय पत्र से प्रकट है कि यह बैचान नामा दिनांक 08.01.1974 गुरदयालसिंह व नरेन्द्रसिंह पिसरान मिल्खा सिंह जाति सिख निवासी ग्राम बाजड़ द्वारा गुरदयालसिंह स्वयं एवं नरेन्द्रसिंह के मुख्तार की हैसीयत से 10 बीघा भूमि रणजीत सिंह आ0 हरबंश सिंह जाति जटसिख ग्राम बाजड़ बिल एवज 7000 रूपये में बैचान करने का अंकन इस विक्रय पत्र में है। यह भूमि विक्रेता द्वारा अणन्दा आ0 श्रीकिशन से क्रय करना विक्रय पत्र में अंकित है। इस विक्रय पत्र से कहीं भी यह प्रकट नही होता है कि प्रकरण में धारा 42 राज. काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन हुआ हो। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के तथ्य एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से धारा 42 काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन होना प्रमाणित नहीं है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी खाता संख्या 266 संवत् 2066 से 69 ग्राम बड़ून्दा में दर्ज नामांतरकरण संख्या 1123 दिनांक 24.02.2011 में

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

जर्ये इजराय डिक्री एस.डी.ओ. बून्दी विवादित भूमि गोपाली बाई पुत्री हीरालाल कौम मीना साकिन बाजड़ के खाते दर्ज होने का अंकन है। उपखण्ड अधिकारी बूंदी के निर्णय एवं डिक्री प्रमाणित प्रति श्रीमती गोपाली बाई द्वारा प्रस्तुत की हुई है जिससे प्रमाणित है कि वाद सं. 42/2001 गोपाली बाई बनाम झीता वगैरह बाबत अधिकार घोषणा एवं बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा से विवादित भूमि गोपाली बाई के खाते बंटवारा होकर दर्ज हुई है। इस वाद में तहसीलदार भी पक्षकार है जिससे मियाद के सम्बन्ध में प्रस्तुत उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब पोषणीय नहीं है, क्योंकि इस वाद में ही तहसीलदार को विवादित भूमि के बाबत पक्षकार बना लिया गया था। इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध राजस्थान राज्य तहसीलदार द्वारा अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। विवादित भूमि के बैचान की तिथि भी आवेदन पत्र में अंकित नहीं है। प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे प्रमाणित होता हो कि विवादित भूमि अप्रार्थी गोपाली बाई तथा उसके पिता ने बैचान की हो। मूल आवेदन पत्र के पृथक–पृथक जवाब में अप्रार्थी सं. 2 रणजीतसिंह, सुरजीतसिंह, अमरीकसिंह ने कार्यवाही अवधि बाधित होने का कथन किया है तथा आवेदन पत्र खारिज करने की प्रार्थना की है। संलग्न प्रमाणित प्रति विक्रय पत्र दिनांक 08.01.1974 जो दिनांक 09.01.1974 को डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार बूंदी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की मियाद 30 वर्ष है, यह अवधि दिनांक 09.01.1974 से दिनांक 09.01.2004 को समाप्त हो गई है। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी गोपाली बाई के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक विनिर्णय 2002 आर.आर.टी.(पार्ट I) पेज 408 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम चन्दा के कायम मुकाम में माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय में यह माना है कि धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तान्तरण की तारीख से प्रार्थना पत्र पेश करने की मियाद शुरू होती है न कि जानकारी की तारीख से। माननीय राजस्व मण्डल के उक्त विनिर्णय के प्रकाश में यह भलीभांति स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र अवधि बाधित प्रस्तुत किया है तथा उपखण्ड अधिकारी बून्दी के निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध भी प्रार्थी द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि के बाबत उक्त निर्णय एवं डिक्री से उभयपक्ष पाबंद हैं तथा उक्त निर्णय रेसज्युडिकेटा का प्रभाव रखता है। समग्र विवेचन से प्रमाणित है कि प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र अवधि बाधित प्रस्तुत हुआ है तथा आवेदन पत्र में अंकित तथ्य भी प्रमाणित नहीं है। कानूनन 30 वर्ष पश्चात् आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

आदेश

परिणामस्वरूप अप्रार्थी श्रीमती गोपाली बाई द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 02.02.2018 स्वीकार किया जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 14.12.2011 को प्रस्तुत किया गया अवधि बाधित होने से यह आवेदन पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर नंबर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बून्दी

8/2/19

(दुर्गा शंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner